निर्णय ब इजलास कुन्तल विश्नोई आर.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय), जयपुर

प्रकरण संख्या 5/2024 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र स्व. श्री चौथमल शर्मा, निवासी पटेलों का मोहल्ला, कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर--303801।

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय **दिनांक 22/10/2024**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 30.07.2024 को राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जिला जयपुर के नाम आवेदन मय शुल्क प्रेषित कर निम्नलिखित सूचना चाही गयी–

   (अ) राजस्व ग्राम कालाडेरा के हल्का पटवारी ने प्रार्थी की खसरा सं. 1239/2 का सीमाज्ञान अपनी मनमर्जी से तथा प्रार्थी को बिना सूचित किये किसी निजी व्यक्ति को लाभ पंहुचाने की आड में मशीन द्वारा सीमाज्ञान किया गया है, उसके विरुद्ध मैंने एक तथ्यात्मक शिकायत पत्र आप श्रीमान को दिनांक 14/06/2024 को दस्ती रुप से प्रस्तुत किये जाने की तिथि से आज दिनांक 30/07/2024 तक की अवधि में जो भी कार्यालय टिप्पणियां की जा चुकी है उनकी प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवायें।

   (ब) प्रार्थी द्वारा दिनांक 14/06/2024 को एक शिकायती पत्र खसरा नं. 1239/2 बाबत दस्तीरुप से आपको प्रस्तुत की गई जिसकी छाया प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न कर प्रार्थना है कि पत्र में वर्णित तथ्यों एवं सीमाज्ञान मय मशीन के जिस अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा हल्का पटवारी ने करवाया है उस सीमाज्ञान की प्रमाणित प्रति मय मशीन लाने वाले का नाम, पता, मशीन का मानक संदर्भ नम्बर, मैक नम्बर इत्यादि की सूचना उपलब्ध करवायें।

   (स) हल्का पटवारी द्वारा विवादित खसरा नं. के सीमाज्ञान मशीन द्वारा आपके द्वारा अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सीमाज्ञान करने के जो भी आदेश जारी किये गये हैं, उन आदेशों की प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवायें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ के न्यायालय में दर्ज रजिस्टर होकर क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय के न्यायालय में दिनांक 16/10/2024 को प्राप्त हुई। दिनांक 16.10.2024 को संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जिला जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित है।

3. हमने प्रार्थी के सूचना के अधिकार के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी चौमूं को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा जिसमें चाही गई बिन्दूवार सूचना दस्तावेजी सूचना चाहने हेतु अंकित किया गया है तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अधिकारी चौमू द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 22.10.2024 को प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक लो.सू./2024/332 दिनांक 22.10.2024 द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी। परन्तु भेजी गई सूचना के अवलोकन से जाहिर है कि चाही गई सूचना नहीं दी गई है। अतः अपील का निस्तारण उपखण्ड अधिकारी चौमूं को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि उक्त प्रकरण में यदि कोई सूचना दिये जाने से शेष है तो तत्काल उपलब्ध करावें तथा भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम में निर्दिष्ट नियमों में निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध कराई जावे।

4. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

5. निर्णय आज दिनांक 22/10/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
अपीलीय अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर (तृतीय),
जयपुर।